राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 5

कमांक : ए.1(8)384 / 2002
दिनांक : 05/3/2015

कार्यालय आदेश

समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में शासन सचिवालय में दिनांक 10.2.2015 को सुबह 11.30 पर हुई बैठक के निर्णयानुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के यू.ओ.नोट दिनांक 6.4.2015 (प्रति संलग्न) में वर्णित अधिनियम की पालना में विभाग द्वारा जारी परिपत्र / दिशा–निर्देशों तथा उपलब्ध कराये गये फार्म को इकाई कार्यालयों के माध्यम से इकाई के अधीन आने वाली औद्योगिक ईकाईयों को उपलब्ध कराते हुये आन्तरिक शिकायत समितियों का गठन सुनिश्चित करावे तथा अपनी वैबसाईट पर भी इस प्रकार के निर्देश अपलोड करावे ताकि किसी भी इकाई को पंजीकरण के समय ही अधिनियम की पालना के संबंध में अवगत कराया जाकर अधिनियम की पालना सुनिश्चित की जा सके ।

(गौरव बजाड़)
सलाहकार (ए.एण्ड.एम.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
(महिला संरक्षण प्रकोष्ठ)
जे–7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र

विषयः– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में दिनांक 10.02.2015 को सुबह 11:30 पर हुई बैठक के संबंध में।

प्रसंगः– रीको के पत्र क्रमांक 564 दिनांक 13.02.2015 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से प्राप्त उक्त सुझाव के क्रम में आपको अवगत कराना चाहुंगी कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अर्न्तगत प्रत्येक नियोक्ता को अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को अपने कार्यस्थल के लिये एक आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना बाध्यकारी है जिसके लिये इस विभाग के द्वारा क्रमांक 57127 दिनांक 03.10.2013 से परिपत्र/निर्देश जारी कर पालनार्थ समस्त विभागो को प्रेषित किये जा चुके है। अधिनियम लागू होने के उपरांत अधिनियम के प्रावधानों की पालना के लिये प्रत्येक राजकीय विभाग का यह दायित्व है कि वह अपने विभाग एवं उसके क्षेत्राधिकार में आने वाली समस्त राजकीय/निजी ईकाईयों में अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करावे। विभाग के द्वारा इसी क्रम में क्रमांक 12–13 दिनांक 01.01.2015 माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा भी समस्त मंत्रीगणो एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को अधिनियम की पालना करने के लिये अ.शा. पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया है (प्रति संलग्न है)।

इस क्रम में आपको अवगत कराना चाहुंगी कि विभाग के द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये गये और निपटाये गये मामलो की संख्या से संबंधित डाटा तथा अधिनियम के प्रचार–प्रसार के लिये प्रशिक्षण सामग्री विकसित कर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने का दायित्व दिया गया है जिसके लिये यह विभाग निरन्तर प्रयासरत है किंतु अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिये यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक विभाग इस अधिनियम के प्रावधानो की भावना के अनुसार पालना के लिये हर संभव प्रयास करे। चूकिं औद्योगिक ईकाईयों के पंजीकरण इत्यादि की कार्यवाही आपके विभाग के स्तर से की जाती है। अतः उचित होगा कि अधिनियम के संबंधित प्रावधानो के संबंध में जानकारी आपके विभाग की वैबसाईट पर अपलोड की जावे। इस विभाग के द्वारा नोडल विभाग के रूप में अधिनियम, नियम तथा संबंधित परिपत्र/निर्देश तथा आन्तरिक शिकायत समिति के गठन के प्रावधानों को सुलभ बनाने हेतु एक प्रपत्र जिसका लिंक **http://wcd.rajasthan.gov.in/docs/format.pdf** पर उपलब्ध है, विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अधिनियम की पालना में विभाग द्वारा जारी परिपत्र/दिशा–निर्देशों तथा उपलब्ध कराये गये फार्म को अपने अधीन रीको के ईकाई कार्यालयो के माध्यम से उनके अधीन आने वाली औद्योगिक ईकाईयों को उपलब्ध कराते हुये आन्तरिक शिकायत समितियो का गठन सुनिश्चित करावे तथा अपनी वैबसाईट पर भी इस प्रकार के निर्देश अपलोड करावे ताकि किसी भी ईकाई को पंजीकरण के समय ही अधिनियम की पालना के संबंध में अवगत कराया जाकर अधिनियम की पालना सुनिश्चित की जा सके।

(गुरजीत कौर)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रमुख शासन सचिव, उद्योग

यू.ओ.नोट क्रमांक:एफ16(4)(5)/निमअ/यौ.उत्पी./11/ 9698
जयपुर, दिनांक 6/04/15

अनिता भदेल
राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

6122, मंत्रालय भवन, प्रथम तल
शासन सचिवालय, जयपुर
फोन : 0141-2227622
Email : mwcd123@gmail.com

अशा0टीप0 संख्या : 12-13
जयपुर, दिनांक 1-1-2015

मै आपका ध्यान कार्यस्थल पर महिलाओं के संवैधानिक व मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिये भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किये गये " महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध व प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। उक्त विधान के तहत प्रत्येक नियोक्ता का यह दायित्व है कि ऐसे कार्यस्थल जहां 10 या अधिक कार्मिक कार्यरत हैं, के सम्बन्ध में 'आन्तरिक शिकायत समिति' (ICC) का गठन करें। नियोक्ता की परिभाषा में सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ निजी संगठन/प्रतिष्ठान भी सम्मिलित हैं। उक्तानुसार अधिनियम के प्रावधानों की समयबद्ध पालना किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव एंव निदेशक महिला अधिकारिता द्वारा सभी प्रशासनिक विभागों को दिशानिर्देश भिजवाए जा चुके हैं। उक्त अधिकारीगण द्वारा स्मरणार्थ बार-बार अर्द्धशासकीय पत्र भी लिखे गये है। किन्तु अधिनियम के उक्त आज्ञापक प्रावधानों की पालना में महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन से सम्बन्धित शिकायतों के सुनने व निराकरण करने हेतु राजकीय व गैर राजकीय प्रतिष्ठानों में "आन्तरिक शिकायत समिति" का गठन नही हुआ है।

अतः मेरा निवेदन है कि कृपया उक्तानुसार आन्तरिक शिकायत समितियों के गठन एंव कार्यशील बनाने हेतु अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों को कठोर निर्देश प्रदान करावें। आपके विभाग के अधीनस्थ निजी प्रतिष्ठानों में भी ऐसी समितियों के गठन के लिये कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग किया जाना आवश्यक रहेगा।

(अनिता भदेल)

मा0 मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण
राजस्थान सरकार, जयपुर
प्रतिलिपि-क्र. 14-18 दि. 1-1-2015

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्षगण को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार समितियों का गठन कानूनी अनिवार्यता है। उक्त प्रावधान की नियोक्ता द्वारा पालना नही किया जाना अधिनियम की धारा 26 के अनुसार दण्डनीय अपराध है एवं दोष सिद्ध होने पर ₹ 50000/- का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। अतः इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करावें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव